भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1197

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- आरकेवीवाई के उद्देश्य

1197. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आरकेवीवाई के अंतर्गत कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आरकेवीवाई के परिणामों का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन या प्रभाव आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार कृषि विकास और किसानों के कल्याण पर आरकेवीवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आगामी वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन या सुधार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (जिसका नाम बदलकर पीएम-आरकेवीवाई कर दिया गया है) के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों की एक श्रृंखला से चुनी गई अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कटाई से पहले और बाद में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर किसानों के प्रयासों को मजबूत करना, जिससे गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण सुविधाएँ, बाज़ार तक पहुँच और बहुत कुछ की आपूर्ति में सुविधा हो।
- कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके संसाधन अंतराल को पाटना।

• उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई विशिष्ट पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व की कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना।

पीएम-आरकेवीवाई के प्रमुख घटकों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) घटक, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) सहित कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएचएंडएफ), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी), कृषि वानिकी आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग): वर्ष 2021-22 तक, आरकेवीवाई को डीपीआर मोड में एक स्टैंडअलोन योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। तमिलनाडु के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन (केन्द्रीय हिस्सा)	रिलीज्ड/यूटिलाइज्ड (केन्द्रीय हिस्सा)
2021-22	197.96	171.30

वर्ष 2022-23 से आरकेवीवाई की अम्ब्रेला योजना को अन्य घटकों के साथ आरकेवीवाई (डीपीआर घटक) में मिला दिया गया है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए राज्य के लिए समेकित पीएम आरकेवीवाई आवंटन और उपयोग निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटन (केन्द्रीय हिस्सा)	रिलीज्ड/यूटिलाइज्ड (केन्द्रीय हिस्सा)
2022-23	799.94	398.92
2023-24	694.89	694.65
कुल	1494.83	1093.57

तमिलनाडु में इस योजना के तहत वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार से प्राप्त इसकी वर्तमान स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(घ): योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन समय-समय पर किया जाता है। योजनाओं का अंतिम मूल्यांकन विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा अगस्त 2020 में वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए किया गया था। मूल्यांकन में सभी योजनाओं को व्यक्तिगत रूप से शामिल किया गया, जहाँ प्रदर्शन काफी हद तक संतोषजनक था।

(ङ): व्यय वित्त समिति और नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आरकेवीवाई का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर पीएम-आरकेवीवाई कर दिया गया। उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करने के लिए, कई केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर इसे कैफेटेरिया योजना के रूप में फिर से डिजाइन किया गया है। अनुमोदन प्राप्त करने में, संवितरण, निधि के समय पर उपयोग करने में और स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए, पीएम-आरकेवीवाई के लिए नए ऑपरेशनल गाइडलाइंस दिनांक 20 नवंबर 2024 को परिचालित किए गए थे। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत योजना के लिए एक समेकित वार्षिक कार्य योजना को कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

अनुबंध-I

स्टेट्स सहित तमिलनाडु में आरकेवीवाई (डीपीआर) घटक के तहत वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाएं
वित्तीय वर्ष 2024-25

क्र.सं.	परियोजना	आवंटन (लाख रुपए में)	वास्तविक लक्ष्य
1	10 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल) के लिए नए भवनों का निर्माण, 6 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एमएसटीएल), 02 कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला (पीटीएल), 02 जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई (बीएफपीयू) के लिए अतिरिक्त गोदाम, एमएसटीएल के लिए वैन शेड आदि।	1368	23
2	तमिलनाडु में मक्का का क्षेत्रफल और उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्का की खेती का संवर्धन	3000	46666.67 हेक्टेयर
3	बागवानी फसलों का क्षेत्र विस्तार	1026.51	6284 हेक्टेयर
4	बागवानी फसलों के लिए सहायक संरचनाएं	1725	500 हेक्टेयर
5	कृषि इंजीनियरिंग विभाग के स्वामित्व वाले बुल डोजरों के परिवहन के लिए मल्टी एक्सल कैरियर (एमएसी) वाहनों की खरीद ताकि कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किराये आधार पर किए जाने वाले कार्यकलाप को मजबूत किया जा सके।	1100	20
6	पनरुति, कुड्डालोर में कटहल मूल्य संवर्धन सुविधा की स्थापना	1612.75	1

*****